तेजसिंह बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्या 03/72/2024
निर्णय दिनांक 04.12.2024

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/72/2024 ऑनलाईन नम्बर 2024/383 प्रवेश तिथि:–21.06.2024

1. तेजसिंह पुत्र स्व0 श्री बिहारी सिंह आयु 90 साल निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री दीपक जैमन एड0 प्रार्थी
2. तहसीलदार राजगढ

:निर्णय:– दिनांक 04.12.2024

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 205/0.29, 206/0.11, 210/0.09 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम तेज सिंह पुत्र स्व0 श्री बिहारी सिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज कर दिया। इसी कदर आराजी खाता संख्या 116 खसरा संख्या 144/0.95 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ आराजी खाता संख्या 117 खसरा संख्या 204/0.35, 211/0.06, 353/0.60 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ प्रार्थी के भाई हरिकिशन सिंह पुत्र स्व0 श्री बिहारी सिंह के स्थान पर किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह गलत दर्ज कर दिया। खाता संख्या 107 खसरा संख्या 207/0.05, गै0मु0 चाह में हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह के स्थान पर किशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह गलत दर्ज कर दिया। व आराजी खाता संख्या 108 खसरा संख्या 291/0.08 गै0मु0 चाह व खाता संख्या 109 खसरा संख्या 112/0.17, 362/0.10 गै0मु0 चाह खाता संख्या 106 खसरा संख्या 342/0.05 गै0मु0 चाह वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र बिहारी सिंह गलत तरीके से दर्ज कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी भाई तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह, व उसके हरीकिशन सिंह पुत्र स्व0 बिहारी सिंह की जगह सहवन से क्रमश जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह, किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह, किशोर सिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी उसके भाई के नाम अन्य रिकार्ड में तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन सिंह पुत्र श्री बिहारी सिंह दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व उसके भाई सही नाम तेजसिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन पुत्र बिहारी सिंह दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/2434 दिनांक 26.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि तेजसिंह पुत्र बिहारी सिंह व किशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह व किशोर सिंह पुत्र बिहारी सिंह एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम तेजसिंह व हरिकिशन सिंह पुत्रान बिहारी सिंह होना बताया गया। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी व उसके भाई का नाम तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन पुत्र बिहारी सिंह जगह सहवन से जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह, किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह, किशोर पुत्र बिहारी सिंह दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी व उसके भाई का नाम तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 205/0.29, 206/0.11, 210/0.09 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम तेज सिंह पुत्र स्व0 श्र बिहारी सिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज कर दिया। इसी कदर आराजी खाता संख्या 116 खसरा संख्या 144/0.95 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ आराजी खाता संख्या 117 खसरा संख्या 204/0.35, 211/0.06, 353/0.60 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ प्रार्थी के भाई हरिकिशन सिंह पुत्र स्व0 श्री बिहारी सिंह के स्थान पर किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह गलत दर्ज कर दिया। खाता संख्या 107 खसरा संख्या 207/0.05, गै0मु0 चाह में हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह के स्थान पर किशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह गलत दर्ज कर दिया। व आराजी खाता संख्या 108 खसरा संख्या 291/0.08 गै0मु0 चाह व खाता संख्या 109 खसरा संख्या 112/0.17, 362/0.10 गै0मु0 चाह खाता संख्या 106 खसरा संख्या 342/0.05 गै0मु0 चाह वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र बिहारी सिंह गलत तरीके से दर्ज कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी भाई तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह, व उसके हरिकिशन सिंह पुत्र स्व0 बिहारी सिंह की जगह सहवन से क्रमश जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह, किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह, किशोर सिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी उसके भाई के नाम अन्य रिकार्ड में तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन सिंह पुत्र श्री बिहारी सिंह दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व उसके भाई सही नाम तेजसिंह पुत्र बिहारी सिंह व हरिकिशन पुत्र बिहारी सिंह दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2024, व प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज तेज सिंह वोटर लिस्ट वार्ड क्रमांक 2 वाके ग्राम फिरोजपुर आर.जे/08/065/138575, तेज सिंह आधार कार्ड 227505391112, सरपंच प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फिरोजपुर दिनांक 12.01.2023, हरिकिशन सिंह मत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 14 दिनांक 01.07.2010, पहचान पत्र हरकिशन सिंह आरजे/08/065/138074, राशन कार्ड संख्या 007328800040 हरिकिशन सिंह का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

तेजसिंह बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्या 03/72/2024
निर्णय दिनांक 04.12.2024

से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 115 आराजी खसरा नम्बर 205/0.29, 206/0.11, 210/0.09 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर में जयसिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज है। उसे स्थान पर तेज सिंह पुत्र बिहारी सिंह दुरूस्त किया जावे तथा आराजी खाता संख्या 116 खसरा संख्या 144/0.95 वाके ग्राम होदायली खाता संख्या 117 खसरा संख्या 204/0.35, 211/0.06, 353/0.60 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ प्रार्थी के भाई के स्थान पर भाई किशन सिंह पुत्र पिटारी सिंह गलत दर्ज कर दिया उसके स्थान पर हरिकिशन सिंह पुत्र स्व0 श्री बिहारी सिंह दुरूस्त किया जावे। खाता संख्या 107 खसरा संख्या 207/0.05, गै0मु0 चाह में किशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह गलत दर्ज कर दिया उसे हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह दुरूस्त किया जावे। तथा खाता संख्या 108 खसरा संख्या 291/0.08 गै0मु0 चाह व खाता संख्या 109 खसरा संख्या 112/0.17, 362/0.10 गै0मु0 चाह खाता संख्या 106 खसरा संख्या 342/0.05 गै0मु0 चाह वाके ग्राम होदायली में किशोर सिंह पुत्र स्व0 बिहारी सिंह गलत दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त किया जाकर हरिकिशन सिंह पुत्र बिहारी सिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते